न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,भदेसर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजू शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 34 / 2020 **दिनांकः– 07.04..2021**

अनवान

मति पारसबाई पत्नि मोहनदास जी जाति वैष्णव उम्र वयस्क निवासी लेसवा, तहसील भदेसर ला चित्तौड़गढ़

––वादीया

बनाम

1. राधा पुत्री कालूदास जी जाति वैष्णव उम्र वयस्क निवासी लेसवा, तहसील भदेसर हाल मुकाम पत्नी कल्याणदास जी वैष्णव निवासी उंदाला, तहसील कपासन
2. पारस पुत्री कालूदास जी जी जाति वैष्णव उम्र वयस्क निवासी लेसवा, तहसली भदेसर, हाल मुकाम पत्नी किशनदास जी वैष्णव निवासी कास्या,तहसील भदेसर
3. गीता पुत्री कालूदास जी जी जाति वैष्णव उम्र वयस्क निवासी लेसवा, तहसली भदेसर, हाल मुकाम पत्नी शांतिदास जी वैष्णव निवासी हथियाना, तहसली कपासन, जिला चित्तौड़गढ़
4. गोवर्धन पिता पन्नादास जी जाति वैष्णव उम्र वयस्क निवासी लेसवा, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
5. कन्हैयादास पिता पन्नादास जी जाति वैष्णव उम्र वयस्क निवासी लेसवा, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
6. सुन्दरबाई पत्नी शंभूदास जी जाति वैष्णव उम्र वयस्क निवासी लेसवा, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
7. टोलूदास पिता किशोर दास जी जाति वैष्णव उम्र वयस्क निवासी लेसवा, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
8. शांतिदास पिता उंकारदास जी जाति वैष्णव उम्र वयस्क निवासी लेसवा, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
9. शंभुदास पिता उंकार जी जाति वैष्णव उम्र वयस्क निवासी लेसवा, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
10. लालूदास पिता उंकारदास जी जाति वैष्णव उम्र वयस्क निवासी लेसवा, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
11. कमलाबाई पिता उंकारदास जी जाति वैष्णव उम्र वयस्क निवासी लेसवा, हाल मुकाम पत्नी भंवरदास वैष्णव निवासी लोहाना, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
12. प्रेमीबाई पुत्री उंकारदास जाति वैष्णव जी उम्र वयस्क निवासी लेसवा, हाल पता पत्नी मांगीदास जी वैष्णव निवासी समेलिया, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़
13. लालीबाई पुत्री उंकारदास जी जाति वैष्णव जी उम्र वयस्क निवासी लेसवा, हाल पता पत्नी मांगीदास जी वैष्णव निवासी कबीर जी की भागल, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:38:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

14. रूकमणी पुत्री उंकारदास जाति वैष्णव जी उम्र वयस्क निवासी लेसवा, तहसील भदेसर हाल पत्नी गोपाल दास जी वैष्णव निवासी खोखरियाखेडी, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़
15. दाखीबाई पत्नी माधुदास जी वैष्णव उम्र वयस्क निवासी लेसवा तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़
16. श्रीमान् बैंक मैंनेजर साहब, बी.ओ.बी. शाखा भादसौडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
17. श्रीमान् बैंक मैंनेजर साहब, बी.आर.जी.बी.शाखा बानसेन, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
18. श्रीमान् तहसीलदार साहब, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

——प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र बाबत् कराये जाने बंटवाडा आराजीयात</u>
<u>अन्तर्गत धारा 53, 188, 209 आर.टी.ए.</u>

वादीया का वाद पत्र ओर्डर 7 नियम 1,2 जा.दी. निम्न प्रकार पेश हैः—

1. यह कि वादीया एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा लेसवा पटवार हल्का लेसवा, तहसील भदेसर में स्थित है जिस पर वादीया एवं अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर अपने स्वामित्व के आधार पर उपयोग, उपभोग करते चले आ रहे है। जिसकी आराजी का विवरण निम्न प्रकार है—
अ— खाता संख्या 78 संवत् 2071 से 2074 की जमाबंदी अनुसार आराजी संख्या 33 रकबा 1.4000 हैक्टर लगानी 29.40 रूपये,आराजी संख्या 395 रकबा 0.5600 हैक्टर लगानी 15.12 रूपये,आराजी नम्बर 396 रकबा 0.1200 हैक्टर लगानी 3.40 रूपये,आराजी नम्बर 397 रकबा 0.0300 हैक्टर लगानी 0.12 रूपये, आराजी नम्बर 406 रकबा 0.9200 हैक्टर लगानी 11.96 रूपये,आराजी नम्बर 430 रकबा 0.0900 हैक्टर लगानी 1.89 रूपये,आराजी नम्बर 431रकबा 0.7700 हैक्टर लगानी 16.17 रूपये,आराजी नम्बर 432 रकबा 0.1400 हैक्टर लगानी 0.56 रूपये, किता 08 कुल रकबा 4.0300 हैक्टर कुल लगानी 77.46 रूपये स्थित है साक्ष्य में नकल जमाबंदी पेश है। उक्त खाते में वादीया का 1/4 वॉ हिस्सा बनता है।

ब— खाता संख्या 97 संवत् 2071 से 2074 की जमाबंदी अनुसार आराजी संख्या 35 रकबा 1.3700 हैक्टर लगानी 17.81 रूपये, आराजी संख्या 403 रकबा 0.0200 हैक्टर लगानी 0.0 रूपये, कुल किता 2 कुल रकबा 1.3900 हैक्टर कुल लगानी 17.81 रूपये स्थित है साक्ष्य में नकल जमाबंदी पेश है। उक्त खाते में वादीया का 1/8 वॉ हिस्सा बनता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:38:05 IST
Reason: SelfAttested

2. यह कि गांव लेसवा में कलम संख्या 1 में वर्णित आराजी में वादीया एवं प्रतिवादीगण के स्वामित्व एवं खातेदारी की कृषि भूमि संयुक्त रूप से दर्ज है तथा वादीया एवं प्रतिवादीगण पूर्वानुसार अपने हिस्से पर काबिज होकर बिना विवाद के काश्त करते चले आ रहे है तथा खातेदारान के मध्य विधिवत कोई बंटवाडा नहीं

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला—चित्तौड़गढ़

हुआ एवं आराजीयात का संयुक्त रूप से उपयोग, उपभोग कर रहे है। लेकिन मौके पर रिकार्डेड बंटवारा नहीं होने के कारण एवं रकबें की कमी पेशी एवं लगान जमा कराने की बात को लेकर हमेशा वादीया एवं प्रतिवादीगण के बीच विवाद होता रहता है जिस कारण वादीया द्वारा प्रतिवादीगणों को रेकार्डेड बंटवारा करने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादीगण ने बंटवारा करने से मना कर दिया जिस कारण वादीया को उक्त बंटवारा बाबत् वाद पेश करना आवश्यक हो गया है।

3. यह कि कलम संख्या 1 के अ में वर्णित आराजीयात में वादीया का 1/4 वॉ हिस्सा बनता है एवं कम संख्या 1 के ब में वर्णित आराजीयात में वादीया का 1/8 वॉ हिस्सा बनता है जिस पर वादिया काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रही है इसी अनुसार अपने हिस्से अनुसार वादिया संयुक्त खाते मे से अपना हिस्सा प्रतिवादीगण से पृथक से खातेदारी मे दर्ज करवाना चाहती है एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जाना आवश्यक है कि वादिया के कब्जेशुदा आराजीयात में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करने ना अन्य किसी से करावें। संयुक्त खातेदारी मेंसे हटाकर पृथक से खातेदारी में दर्ज कराये जाने का वादिया अधिकारिणी होने से बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा किया जाना आवश्यक है।

अतः वादिया की प्रार्थना है कि:–

अ– वाद वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर वाद की चरण संख्या 1 अ में वर्णित आराजीयात में वादिया का 1/4 वॉ हक होने से एवं वाद की चरण संख्या 1 के ब में वादिया का 1/8वॉ हक हिस्सा होने से हक अनुसार पृथक से बाई मिट्स एंड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवारा कर पृथक से वादिया की खातेदारी में दर्ज किया जाकर अलग से नक्शें में तरमीम कराई जावे व लगान की फटनी कराई जाने की आज्ञप्ति बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान कराई जावे।

ब– कि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 15 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादिया के कब्जेशुदा आराजीयात में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे एव ना करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । बरोज पेशी प्रतिवादी संख्या 1 से 17 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा किये जाने के आदेश पारीत किये गये। प्रतिवादी संख्या 18 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित मगर जवाब प्रस्तुत नहीं करना चाहा और प्रकरण अपने हिस्से के बंटवारा का होने से इसी स्टेज पर वकील वादी ने दर्ज रेकार्ड अनुसार बंटवाडा करने का निवेदन किया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा [illegible] की गई। लायक अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गयी जिन्होंने वाद वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद स्वीकार किये जाने इस्तदुआ की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:38:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया। वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से बखूबी साबित कराया है कि ग्राम लेसवा प0ह0 लेसवा की प्रश्नगत खाता संख्या 78 में दर्ज आराजी संख्या 33 रकबा 1.4000 हैक्टर,आराजी संख्या 395 रकबा 0.5600 हैक्टर आराजी नम्बर 396 रकबा 0.1200 हैक्टर ,आराजी नम्बर 397 रकबा 0.0300 हैक्टर ,आराजी नम्बर 406 रकबा 0.9200 हैक्टर ,आराजी नम्बर 430 रकबा 0.0900 हैक्टर,आराजी नम्बर 431रकबा 0.7700 हैक्टर ,आराजी नम्बर 432 रकबा 0.1400 हैक्टर किता 08 कुल रकबा 4.0300 हैक्टर में वादिया का 1/4 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड है एवं खाता सं0 97 में दर्ज आराजी संख्या 35 रकबा 1.3700 हैक्टर, आराजी संख्या 403 रकबा 0.0200 कुल किता 2 कुल रकबा 1.3900 हैक्टर में वादिया का 1/8 हक हिस्सा निहित है शेष प्रतिवादीगण का संयुक्त दर्ज रेकार्ड।

पत्रावली के सम्पूर्ण अवलोकन करने से वादिया का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है । यह आदेशित किया जाता है कि ग्राम लेसवा प0ह0 लेसवा की आराजी नं0 33,395,396,397,406,430,431 एवं 432 में वादिया का 1/4 हक हिस्सा एवं की आराजी नं0 35,403 में वादिया का 1/8 एवं शेष प्रतिवादी सं0 1 से 15 का संयुक्त रखा जाकर फर्द बंटवारा मौके पर कब्जे को ध्यान मे रखते हुए फर्द बंटवारा किये जाने हेतु आदेश पारित किया जाता है। तहसीलदार भदेसर को 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव लगान फाटनी कर कर मय नक्शा ट्रेस उभय पक्ष की मौजूदगी में तैयार कराया जाकर एक माह में प्रस्तुत करें। विभाजन में संबंधीत काश्तकार को अपनी जोत पर पहुंच मार्ग की व्यवस्था सुरक्षित की जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उक्त आराजीयात हक हिस्से अनुसार वादीगण के खातेदारी में दर्ज होने तक आराजी के किसी भी भू भाग को रहन बय बक्षीस अथवा अन्तरण नहीं करें न करावें एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न स्वयं करे न करावें। इसी आशय का पर्चा डिक्री एवं हुक्मनामा अलग से जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(अंजु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:38:05 IST
Reason: SelfAttested